# असमानता (Inequality)

शिक्षा में

असमानता का अर्थ, व्यक्तियों के अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होने समाज मे विशेष अधिकारो का पाया जाना जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, व सम्पत्ति के आधारों अन्तर होना तथा इन आधारों पर मानव या समूह मे ऊँच-नीच के भेद का पाया जाना है।

उदाहरण — भूमि हीन - भू-स्वामी, हरिजन - ब्राह्मण

कमजोर वर्ग (Weaker Section) —

भारतीय सन्दर्भ मे कमजोर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सदियो से सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से शोषित एव उपेक्षित रहा है।

संवैधानिक दृष्टि से कमजोर, दुर्बल या दलित वर्ग के अन्तर्गत अनु० जातियाँ, अनु० जनजातियाँ तथा कुछ अन्य पिछड़े समूह आते है

समाज के दो वर्ग —

| | |
|---|---|
| पूँजीपति, अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग / शासक | श्रमिक, दुर्बल, दलित, कमजोर / शोषित |

ये ऐसे साधन विहीन व्यक्ति है जो जीवन की न्यूनतम व मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते।

हम यह भी ~~कह~~ कह सकते है कि ऐसे व्यक्ति या समूह जो न्यूनतम मूल भूत (दैनिक) आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पाते कमजोर या दुर्बल वर्ग कहलाते है।

भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके विकास (उत्थान) हेतु अनेक प्रावधान किये है। अनुच्छेद - 46 के अन्तर्गत -

"राज्य समाज के दुर्बल अंगो, विशेषतया SC/ST/ के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितो की सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।"

## दलित वर्ग (अनुसूचित जातियाँ / अस्पृश्य लोग)

ब्रिटिश काल मे अस्पृश्यो को दलित वर्ग के नाम से पुकारा जाता था। 1935 के विधान मे एक अनुसूची के अन्तर्गत विभिन्न अस्पृश्य जातियो को 'अनुसूचित जाति' के शब्द को प्रयोग मे लाया गया।

सामान्यत: SC जातियो का अर्थ उन जातियो से लगाया जाता है जिन्हे विशेष उत्थान हेतु संविधान मे विशेष व्यवस्था की गयी है।

## अनुसूचित जातियाँ (दलितों) का कल्याण :—

### संवैधानिक व्यवस्थाएँ -

(i) — **संवैधानिक प्रावधान** — संविधान में अनेक प्रावधान हैं जो अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विशेष ध्यान देते हैं।

अनु० - 15 (1) - राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनु० 17 - अस्पृश्यता का अन्त

अनु० 19 - अस्पृश्यों की व्यवसायिक नियोग्यता का अन्त।

अनु० - 29 - राज्य द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

(ii) **शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं** —: 1944-45 में अस्पृश्य जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की योजना प्रारम्भ की गयी। शिक्षण संस्थाओं में निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था। ~~कमजोर वर्ग या~~ इन जातियों पर सरकार शुरू से ही काफी धनराशि खर्च कर रही है।

(iii) **सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व** — संविधान में SC की जनसंख्या के अनुपात में राज्य की विधान सभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

(iv) **आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास** :— कुटीर धन्धों में लगाने हेतु प्रशिक्षण, ऋण, तथा अनुदान का प्रबन्ध किया गया है। इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तारण समाप्त करने की व्यवस्था।

Scanned with CamScanner